127

बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस

(12 जून 2019)

बाल श्रम एक अपराध है!

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार और किशोरों (14 से 18 वर्ष तक) के खतरनाक व्यवसायों/ प्रक्रियाओं में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

आइये, हम इस बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर प्रण लें कि

- बच्चों को किसी रूप में काम पर नहीं रखेंगे।
- जिन ढाबों या होटलो में बच्चे काम कर रहे हों, वहां कुछ भी नहीं खाऐगें या पीयेगें ।
- चौराहों इत्यदि पर सामान बेचने वाले बच्चों से कुछ भी नहीं खरीदेंगे।
- और सदैव सजग रहकर जहाँ बच्चों द्वारा मजदूरी करायी जा रही हो, इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाने या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पेन्सिल पोर्टल (www.pencil.gov.in) पर करेंगे।

बालश्रम से संबंधित विस्तृत प्रावधान बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में देखें।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार (Government of India)

सत्यमेव जयते

सोच को बदलिए, समाज से इस बुराई को दूर कीजिये

120

World Day Against Child Labour

(12 June, 2019)

Child Labour is a crime!

There is complete ban on any employment of children below the age of 14 years, and of Adolescents (14 to 18 years) in hazardous occupations/processes

Change your thinking, remove this evil of child labour from the society.

On World Day Against Child Labour, let us take a Pledge

- Not to employ a child for any kind of work under any circumstances
- Not to eat or drink at any hotel or restaurant where a child is employed
- Not to buy anything from children selling at crossroads, subways, etc.
- To immediately report any incidence of a child indulged in any kind of labour to the police station or on Pencil Portal (**www.pencil.gov.in**), of the Ministry of Labour and Employment

Detailed provisions regarding child labour may be seen in the Child and Adolesent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार (Government of India)

www.labour.gov.in **@LabourMinistry** **@LabourMinistry**